वशिष-12001/3/2023-व_स_को-DOLRS

2170246/2023/व_स_को-DoLRS

I/90809/2023 दिनांक–09.11.2023 (गुरूवार) को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलो के कार्य प्रगति की ज़ूम के माध्यम से की गई साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक–09.11.2023 (गुरूवार) को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं जिलों के नोडल पदाधिकारी के साथ विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ जिलो के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत् है–

1. बैठक में सर्वप्रथम जिलावार 2500 खेसरो से कम खेसरो वाले ग्रामों में वर्तमान प्रगति एवं अक्टूबर सप्ताह तथा दिनांक-09.11.2023 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य की समीक्षा की गई। जिलावार प्रक्रमवार स्थिति निम्नवत पाई गई–

2500 खेसरा तक राजस्व ग्रामों की जिलावार प्रगति																09-11-2023
SL. NO.	District	Mauza	प्रारूप प्रकाशन		खानापुरी		प्रपत्र 6 इंटी		एल०पी०एम० लंबित	एल०पी०एम० वितरण के पश्चात् सुनवाई वाले राजस्व ग्राम		विश्राति के लिए लंबित राजस्व ग्राम		Map Updation के लिए लंबित राजस्व ग्राम	
			अक्टूबर दृतीय सप्ताह	बैठक की तिथि तक	अक्टूबर दृतीय सप्ताह	बैठक की तिथि तक	अक्टूबर दृतीय सप्ताह	बैठक की तिथि तक	बैठक की तिथि तक	अक्टूबर दृतीय सप्ताह	बैठक की तिथि तक	अक्टूबर दृतीय सप्ताह	बैठक की तिथि तक	अक्टूबर दृतीय सप्ताह	बैठक की तिथि तक
			1	2	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16
1	ARARIA	78	70	72	0	0	0	0	0	6	2	0	4	2	0
2	ARWAL	166	51	96	0	0	9	2	2	46	36	15	24	35	6
3	BANKA	168	115	128	0	0	0	0	0	34	19	14	20	5	2
4	BEGUSARAI	299	229	241	12	6	9	14	4	15	15	0	2	11	2
5	JAMUI	69	39	42	0	0	2	2	1	12	7	15	10	0	7
6	JEHANABAD	159	92	116	0	0	2	0	1	26	25	17	10	8	7
7	KATIHAR	116	78	84	0	0	0	0	0	17	2	6	6	15	24
8	KHAGARIA	78	31	43	1	1	5	4	1	32	22	2	3	5	4
9	KISHANGANJ	284	66	70	73	43	58	74	46	52	49	3	0	0	2
10	LAKHISARAI	243	133	156	4	0	8	4	0	43	42	30	38	10	2
11	MADHEPURA	61	44	46	0	0	2	0	9	8	0	4	6	2	0
12	MUNGER	264	183	209	1	1	5	2	0	49	33	0	17	19	2
13	NALANDA	211	188	207	0	0	0	0	0	3	0	6	0	10	0
14	PURNIA	53	47	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
15	SAHARSA	42	25	28	0	0	6	5	0	5	5	5	4	0	0
16	SHEIKHPURA	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SHEOHAR	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	SITAMARHI	90	43	58	0	0	0	0	0	39	17	3	0	5	15
19	SUPAUL	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	W. CHAMPARAN	153	121	130	0	0	3	2	11	9	6	1	3	7	1
Total:-		2799	1820	2043	251	51	109	109	75	396	280	121	147	140	74

1. जिलावार 2500 से 5000 तक खेसरो से कम खेसरो वाले ग्रामों में वर्तमान प्रगति कार्य की समीक्षा की गई। जिलावार प्रक्रमवार स्थिति निम्नवत पाई गई-

2500 से 5000 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति — **दिनांक- 09-11-2023**

क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	खानापुरी			प्रपत्र . 6 इंट्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल0पी0 एम0		सुनवाई		अभ्युक्तिध
				वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र 6 इन्ट्री शुरू नहीं हुआ है।		एल0पी0एम0 लंबित	एल0पी0एम0 वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	
1	अररिया	32	1	0	6	0	17	2	0	6	0	4 नक्शा लंबित
2	अरवल	88	0	0	36	0	28	11	0	10	3	
3	बांका	57	6	0	28	2	7	3	0	7	4	
4	बेगूसराय	65	0	9	37	2	5	7	5	3	2	
5	जमुई	30	0	0	9	3	6	4	0	4	4	
6	जहानाबाद	56	1	0	12	4	24	2	0	12	1	
7	कटिहार	34	0	0	0	0	2	2	0	24	6	
8	खगडिया	45	0	0	23	0	15	2	0	5	0	
9	किशनगंज	98	0	61	29	6	2	0	0	0	0	
10	लखीसराय	86	0	0	57	0	23	1	0	4	1	
11	मधेपुरा	18	0	0	4	2	7	1	2	1	1	
12	मुंगेर	33	5	0	1	0	14	5	0	7	0	
13	नालंदा	102	25	2	30	3	18	1	0	10	13	
14	पूर्णियाँ	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
15	सहरसा	44	0	8	12	1	11	0	0	10	2	
16	शेखपुरा	64	51	0	0	0	2	0	0	3	8	
17	शिवहर	29	2	0	6	0	3	2	2	8	2	
18	सीतामढी	106	0	34	19	10	20	0	0	23	0	
19	सुपौल	64	27	6	11	0	6	1	0	8	5	
20	प0 चम्पारण	63	3	4	16	5	18	14	3	0	0	
कुल		**1120**	**121**	**124**	**336**	**38**	**234**	**58**	**12**	**145**	**52**	

समीक्षात्मक बैठक में विगत एक माह में हुई जिलास्तरीय प्रगति में पाया गया कि पूर्व में समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निरंतर निदेश के अनुरूप 31 दिसम्बर, 2023 तक 2500 खेसरा तक वाले ग्रामों में प्रारूप प्रकाशन के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक मात्र तीन जिलों शेखपुरा, सुपौल एवं शिवहर द्वारा 2500 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन किया गया है एवं पूर्णिया द्वारा 01 राजस्व ग्रामों को छोडकर 2500 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। शेष जिलों में केवल अररिया, मधेपुरा, नालंदा की प्रगति में स्पष्ट होता है कि इन जिलों द्वारा दिसम्बर प्रथम सप्ताह तक 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा। इनके अतिरिक्त शेष जिलों विशेषकर किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, सीतामढी इत्यादि जिलों द्वारा विगत एक माह में प्रकाशित किए गए प्रारूप अधिकार अभिलेख की प्रगति के अनुरूप दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जाना, वर्तमान प्रगति की गति के अनुरूप कठिन प्रतीत होता है।

समीक्षा में विगत एक माह की प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि मात्र चार जिलों यथा-अरवल, मुंगेर, जहानाबाद एवं लखीसराय जिले द्वारा विगत एक माह में क्रमशः 45, 46, 24, 23 राजस्व ग्रामों के प्रारूप अधिकार प्रकाशित किए गए है। जिलावार प्रगति की समीक्षा उपरान्त जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं समीक्षोपरान्त दिए गए निदेश निम्नवत् हैः-

1. बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्रतिवदित किया गया कि 2500 खेसरों तक वाले 07 लंबित ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख एक सप्ताह में प्रकाशित कर दिया जाएगा जबकि 2500-5000 खेसरे वाले ग्रामों में, 17 राजस्व ग्रामों में प्रपत्र-6 की प्रविष्टि का कार्य किया जा रहा है। बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया में एक लिपिक को अविलंब पदस्थापित करने का अनुरोध किया गया।

   निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अन्तर्गत प्रथम चरण के सभी ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख माह- जनवरी- 2024 तक करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रक्रमवार कार्यों की दैनिक प्रगति का अनुश्रवण किया जाए। लिपिक की पदस्थापना के सम्बन्ध में विगत दो माह पूर्व दरभंगा, बन्दोबस्त कार्यालय से स्थानांतरित किए गए लिपिक के अब तक अररिया में योगदान नहीं करने पर खेद व्यक्त किया गया एवं निदेश दिया गया कि 24 घंटों के अन्दर स्थानान्तरित लिपिक, श्री अरूण कुमार द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया में योगदान नहीं किया जाता है तो निलंबन का प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

2. अरवल जिले की समीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर द्वितीय सप्ताह से अब तक कुल 45 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है एवं विश्रांति में 24 राजस्व ग्राम लंबित है, जिनमें बताया गया कि आठ राजस्व ग्रामों का मानचित्र जमा हो गया है।

   अरवल जिले में विगत एक माह में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया कि उक्त प्रगति के बावजूद भी अरवल में 2500 खेसरों तक वाले लगभग 70 ग्राम प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन हेतु लंबित है। अतः विगत एक माह में हुई प्रगति की निरन्तरता को बनाए रखने की आवश्यकता है। निदेशित किया गया कि दिसम्बर-2023 तक 2500 खेसरा तक वाले सभी ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।

3. बांका और बेगूसराय की समीक्षा में पाया गया कि बांका में विश्रांति प्रक्रम में 20 राजस्व ग्राम तथा बेगूसराय में 15 राजस्व ग्राम सुनवाई प्रक्रम में लंबित हैं, जबकि बांका में सुनवाई प्रक्रम में 19 राजस्व ग्राम लंबित हैं। समीक्षा में पाया गया कि विभिन्न ग्रामों में दावा, आपतियों की संख्या बहुत कम होने के बावजूद भी सुनवाई प्रक्रम का कार्य ससमय पूरा नहीं हो पा रहा है। बेगूसराय के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अनेक ग्रामों में पूर्व के खतियान के अनुसार रेलवे की भूमि होने एवं वर्तमान में रेलवे लाईन के नहीं रहने के कारण स्वामित्व निर्धारण में कठिनाई आ रही है।

   निदेशित किया गया कि बांका एवं बेगूसराय दोनों जिलों में अभी भी 2500 खेसरों तक वाले लगभग 40 या उसमें ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन लंबित है, जबकि विगत सभी समीक्षात्मक बैठकों में दिए गए लक्ष्य के आलोक में दिसम्बर-2023 तक प्रत्येक दशा में 2500 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया जाना है। ऐसी परिस्थिति में प्रक्रमवार कार्यों को निष्पादन में और तेजी लाए जाने की आवश्यकता है। यह भी निदेशित किया गया कि सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए कि सभी कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को मानदेय का भुगतान भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक-5966 दिनांक-25.07.2023 का अनुपालन में किया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में सुनवाई प्रक्रम के क्रम में प्राप्त दावा, आपति की संख्या और सुनवाई सम्बन्धी आंकड़ों की प्रमाणिकता संदिग्ध पाई गई। निदेशित किया गया कि जिला स्तर से शिविरों में चल रही सुनवाई प्रक्रिया में प्राप्त दावा, आपति और निष्पादित सम्बन्धी आंकड़ों की जिला स्तर से विश्लेषण कर जांच किए जाने की आवश्यकता है।

4. जमुई एवं जहानाबाद की समीक्षा में पाया गया कि जहानाबाद में विगत एक माह में 24 तथा जमुई में 3 राजस्व ग्रामों में प्रपत्र-12 प्रकाशित किया गया है, जबकि दोनों जिलों में 10-10 ग्राम विश्रांति प्रक्रम में तथा 07-07 ग्राम प्रपत्र-12 के लिए मानचित्र अद्यतीकरण की प्रक्रिया में लंबित हैं।

   निदेशित किया गया कि प्रक्रमवार कार्यों में प्रगति की गति बढाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही दिसम्बर-2023 के अंत तक 2500 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख को प्रकाशित करने एवं मार्च-2024 तक प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का कार्य समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर इसके अनुरूप कार्य किया जाए।

5. कटिहार और खगड़िया की समीक्षा में कटिहार की समीक्षा में पाया गया कि एजेंसी के पास बडी संख्या में मानचित्र अपडेशन के लिए लंबित हैं। इस सम्बन्ध में एजेंसी द्वारा बताया गया कि कतिपय ग्रामों में संबंधित अमीन द्वारा मानचित्र में 90 प्रतिशत तक परिवर्तन कर अपडेशन हेतु दिया गया है। खगड़िया की समीक्षा में पाया गया कि कुछ राजस्व ग्रामों में जुलाई माह से ही प्रपत्र-6 की प्रविष्टि की जा रही है एवं अनेक ग्रामों में दावा, आपतियों की संख्या बहुत कम होने के बावजूद भी सुनवाई का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

   निदेशित किया गया कि कटिहार की हवाई सर्वेक्षण, आई0आई0 सी0 से वैसे ग्राम के मानचित्र के पी0डी0एफ0 प्राप्त कर निदेशालय स्तर से इस तथ्य की जांच की जाए कि अमीन द्वारा अपडेशन के लिए समर्पित किए गए मानचित्रों में सुधार किए जाने वाले खेसरों का अनुपात क्या है। खगड़िया जिले के कर्मियों द्वारा प्रक्रमवार कार्यों में विलंब के कारण को स्पष्ट करते हुए समीक्षोपरान्त प्रक्रमवार कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के आलोक में मानदेय में कटौती करना सुनिश्चित किया जाए।

6. किशनगंज जिले की समीक्षा में पाया गया कि प्रपत्र-6 की इंट्री में 74, खानापुरी में 43 एवं सुनवाई प्रक्रम में 49 राजस्व ग्राम अभी लंबित है। सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 15 नवम्बर, 2023 तक 35 राजस्व ग्रामों में प्रपत्र-6 की प्रविष्टि एवं 20 ग्रामों में खानापुरी का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

   निदेशित किया गया कि जिला स्तर पर प्रपत्र-6 की प्रविष्टि एवं खानापुरी कार्य की प्रगति का प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाए एवं इन दोनों प्रक्रम में जितने भी ग्राम लंबित हैं, उनमें 10 दिसम्बर, 2023 तक कार्य पूर्ण कर दिसम्बर के अन्त तक प्रत्येक दशा में 2500 खेसरों से कम वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।

7. लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढी तथा प0 चम्पारण की समीक्षा में पाया गया कि लखीसराय में विगत एक सप्ताह में एक भी दावा, आपति का प्रदर्शित नहीं होना और कुछ ग्रामों में कुल दावा, आपति की संख्या शून्य होना संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। मधेपुरा के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा बताया गया कि कानूनगो की संख्या कम होने एवं एक ही कानूनगो के साथ सुनवाई हेतु 7 से 8 ग्राम सम्बद्ध होने के कारण सुनवाई की प्रगति बाधित हो रही है एवं इसी कारण मधेपुरा में 2500 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्रामों में दिसम्बर माह तक प्रपत्र-12 का प्रकाशन हो पाएगा। सीतामढी जिले की समीक्षा में विभिन्न ग्रामों में दावा, आपतियों की संख्या तुलनात्मक से अधिक होना स्पष्ट करता है कि जिले में किस्तवार एवं खानापुरी प्रक्रम के कार्यों की गुणवता का अनुश्रवण सही ढंग से नहीं किया गया है। अन्य जिलों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रक्रमवार किए जा रहे कार्यों का अनुश्रवण जिला स्तर से निरंतर किया जा रहा है एवं दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में 2500 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा।

निदेशित किया गया कि सुनवाई प्रक्रम में प्राप्त दावा, आपति एवं पारित आदेशों की संख्या और उनके सॉफ्टवेयर अपलोडिंग की समीक्षा जिला स्तर पर की जाए एवं किस्तवार एवं खानापुरी में किए जा रहे कार्यों की गुणवता सुनिश्चित करने हेतु यादादश्त पंजी में की जा रही प्रविष्टियों की समीक्षा समय-समय पर की जाए ताकि रैयतों द्वारा समर्पित किए जाने वाले दावा, आपति की संख्या को सीमित किया जा सके।

अंत में निदेशित किया गया कि जिन जिलों द्वारा 2500 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया गया है, वहां जनवरी-2024 तक तथा शेष जिलों में मार्च-2024 तक प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Signed by Jai Singh
Date: 23-11-2023 10:08:59
निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना ।

1. प्रतिलिपि: समाहर्त्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज/बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया/अरवल / बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/ शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपिः सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), किशनगंज / अररिया / अरवल / बांका / बेगूसराय / जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपिः हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, **ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solu on Limited (IL&FS)), GISC, IIC** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी /संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0 सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रतिलिपिः सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रतिलिपिः माननीय मंत्री , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।